भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3084

(दिनांक 11.03.2026 को उत्तर देने के लिए)

फुटेज कवरेज के लिए पैनलबद्धता हेतु सख्त दिशानिर्देश

3084. श्री जय प्रकाश:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन समाचार, लखनऊ द्वारा वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश के हरदोई और फैजाबाद जिलों में स्टाफ के अतिरिक्त संवाददाता (स्ट्रिंगर) को पैनलबद्ध करने के लिए 02 जुलाई 2020 के 'फुटेज कवरेज हेतु पैनलबद्धता संबंधी सख्त दिशानिर्देशों' का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विज्ञापन/अधिसूचना/रिक्ति जारी की गई थी और क्या इस संबंध में कोई चयन बोर्ड/समिति गठित की गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ग): दूरदर्शन न्यूज़, लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न ज़िलों में स्ट्रिंगर के चयन के लिए दिनांक 02 जुलाई, 2010 के स्ट्रिंगर को पैनलबद्ध करने संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कर रहा है। वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश के हरदोई और फ़ैज़ाबाद ज़िलों में स्ट्रिंगर को पैनलबद्ध करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और रिक्तियों के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई।

****